



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220005, 223177 (ऑफिस)
फैक्स-01509 220061, 223177 (ऑफिस)

पत्रांक/सी0एस0एफ0/सूर0/2-185/2015- दिनांक:-

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज0) में स्थित खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पालने व बेचने का कार्य करवाने के लिए खुली बोली/निविदाएं दिनांक 27.08.2015, 03.09.15 व 10.09.15 को 2.30 बजे तक आमंत्रित की जायेंगी। जो कि 3.00 बजे खोली जाएगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व धरोहर राशि रू0 25000/- (रुपये पचीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी तथा असफल निविदादाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जाएगी। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। अन्य नियम व शर्तों का विवरण तथा टेंडर फार्म किसी भी कार्यदिवस में रू0 100/- देकर प्रातः 9.30 से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। ठेकेदार को पेन नम्बर व वोटर आईडी देना आवश्यक है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते निदेशक

सेवामें,
श्रीमाननिदेशकमहोदय,
केन्द्रीय राज्य फार्मसूरतगढ (राज.)

विषय :-फार्मकेगड्डोंमेंमछलीपकड़ने व बेचनेहेतुटेण्डर ।

महोदय जी,

निवेदन यह हैकिमैंफार्म द्वारानिर्धारितनियम व शर्तों के अनुसार खण्ड-1, 2 व 3के गड्डोंमेंमछलीपकड़ने व बेचनेकाटेका31.03.2016 तकलेने के लिए तैयारहूँ।

क्र०सं०	खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डोंमेंमछलीपकड़ने व बेचनेकाटेकालेनेबाबत ।	दरजोफार्ममेंजमाकराऊंगा रुपयोंमें (रकम अंकों व शब्दों में)
.1		

हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट

जिला

मोबाइल न०

राष्ट्रीय बीजनिगमलिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0)

फार्ममें खण्ड एक, दो व तीन के गडढोंमेंमछलीपकड़नेका
ठेकादेनेके लिए नियम व शर्तें

1. फार्म के गडढोंमेंमछलीपकड़ने के लिए धरोहरराशि रू0 25000 /— (रूपये पच्चीसहजारमात्र) फार्म खजांची के पासडीडीजोकिराष्ट्रीय बीजनिगमस्टेटबैंकआफइण्डिया , सूरतगढ़के नाम देय होजमाकरानाहोगा। धरोहरराशिकार्यसंतोषजनकपूराहोने के बादबिनाब्याज के लौटादीजाएगी
2. सफलबोलीदाता की बोलीसमाप्तहोतेहीरकमका एक तिहाईहिस्साउसीदिनजमाकरानाहोगातथा शेषरकमअगले 10 दिन के अन्दरजमाकरानीहोगी।
3. ठेकेदार द्वारा मछलीपकड़ने/रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जायेगें उनकी सूची इस कार्यालय को देनी होगी जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित आदेश जारी किया जायेगा। सूची में अंकित आदमी ही मछलियां पकड़ने का कार्य करेगें।
4. मछली निकालने के लिए यह ठेका 31.03.2016 तक होगा।
5. कोई भी ठेकादार आधा किलो से कम वजन की या 9 ईन्च से कम साइज की मछली नहीं बेचेगा। जिन मछलियों पर सरकार की पाबन्दी है, उन्हें नहीं बेचेगा।
6. यदि मछली पकड़ने पर टैक्स/चुंगी इत्यादि लागू होगी तो उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा। यदि ठेकेदार के आदमियों द्वारा फार्म की फसलों या अन्य सम्पत्तिको नुकसान पहुँचा तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जाएगी।
7. ठेकेदार, उसके हिस्सेदार या उसके एजेंट द्वारा फार्म के किसी अधिकारी/ कर्मचारी/ कामगार के साथ झगड़ाना नहीं करेगें यदि ऐसा हुआ तो फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
8. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. मछली पकड़ने के लिए जाल, व्यक्ति आदि तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए ट्रक आदि का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा तथा पक्की डिग्नियों में मछली का बीज स्वयं ठेकेदार को डालना होगा।
10. सफल बोलीदाता को रूपये 100 /— के स्टाम्प पेपर पर ठेका सम्बन्धी अनुबन्ध अपने खर्च से लाकर करना होगा।
11. किसी भी गडढे में भरे हुए पानी को निकालने या किसी पानी के बहाव में रुकावट पैदा करने के लिये निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ से अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. अमान्य बोली से दोबारा आमंत्रित बोली में अगर रकम अधिक हुई तो उस पर ठेकेदार का किसी प्रकार का हक नहीं होगा। दोबारा बोली की राशि पहली बोली की राशि से कम होने पर अंतर की राशि पहले ठेकेदार की जमा राशि में से काट ली जाएगी।
13. ठेके के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना व क्षति होने पर फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।
14. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी प्रथम ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
15. किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामला को राष्ट्रीय बीजनिगम लि0 के माननीय अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जाएगा जिसका फैसला अंतिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा, फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु सूरतगढ़ न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।
16. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
17. आर्बीटेशन एवं कॉन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते निदेशक

मैंने उपरोक्त शर्तें पढ़ ली हैं और इनसे पूर्णतः सहमत हूँ तथा शर्तें मुझे मान्य हैं।

